न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 38/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/44

प्रार्थी :		अप्रार्थीगण :
विकास अधिकारी पंचायत समिति,बाली	बनाम	1. सरपंच ग्राम पंचायत सैणा 2. श्रीमती सविता पत्नि मंगलेश कुमार जाति– गरुड़ा तह. बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के तहत विरुद्ध ग्राम पंचायत सैणा द्वारा मिसल संख्या 85/2017–18 संकल्प संख्या 02 दिनांक 29.05.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 29.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 बावजुद नोटीस तामील के अनुपस्थित
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेश भण्डारी उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक: 22.08.2024

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली ने एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सैणा द्वारा मिसल संख्या 85/2017–2018 संकल्प संख्या 02 दिनांक 29.05.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 सविता पत्नी मंगलेश कुमार जाति गरुड़ा निवासी सैणा तह. बाली जिला पाली को जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 29.05.2017 को निरस्त करवाने बाबत् प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत निगरानी अनुसार अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या 02 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1)–ख के तहत पट्टा संख्या 23 दिनांक 29.05.2017 क्षेत्रफल 2640 वर्गफीट का पट्टा जारी किया जो कि खसरा नम्बर 139 किस्म गै.मु.भाखर में जारी किया गया है। उक्त भूमि में पट्टा जारी करना पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है अतः पट्टा नियम विरुद्ध जारी होने से निरस्त योग्य हैं। निगरानी प्रतिवेदन के साथ विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली को प्रेषित पत्र की प्रति क्रमांक/पसंबा/पंचायत/2018/1455 दिनांक 25.07.2018 व तहसीलदार बाली द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट की प्रति दिनांक 12.04.2019 की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत निगरानी राजस्व (गुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के पत्रांक/कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटीस जारी किये गयें। अप्रार्थी संख्या 1 बावजुद नोटीस तामील के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनों के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा आबादी भूमि में न होकर खसरा नम्बर 139 किस्म गै.मु.भाखर में स्थित है ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 23 दिनांक 29.05.2017 गै.मु.भाखर में जारी किया गया है जो कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से परे हैं।

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

हमने प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र, सलंग्न दस्तावेजात ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड एवं पूर्व प्रस्तुत लिखित बहस पर गहनता से मनन किया यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत मिसल में नियमों की अनदेखी हुई हैं। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों से परे जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 139 में पट्टा संख्या 23 दिनांक 29.05.2017 को जारी किया हैं।

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 38/2024 उनवान विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सैणा व सविता कुमारी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अतः प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत सैणा द्वारा जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 29.05.2017 को निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण ग्राम पंचायत सैणा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 29.05.2017 में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रभावी कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को प्रस्तावित करें। पालना हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली को लिखा जावें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

22/8/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर–ए–ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

22/8/24

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner